न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 5 / 2019 दायरा दिनांक : 03.01.2019

उनवान

1— गोपी सिंह आत्मज अर्जुन सिंह, जाति राजपूत, निवासी सरोद, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

2— तूफान सिंह आत्मज अर्जुन सिंह, जाति राजपूत, निवासी सरोद, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— देवी सिंह आत्मज कालू सिंह, जाति राजपूत, निवासी सरोद, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

2— फतेह सिंह आत्मज कालू सिंह, जाति राजपूत, निवासी सरोद, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

3— सरदार सिंह आत्मज भगवान सिंह, जाति राजपूत, निवासी सरोद, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

4— भैरूसिंह आत्मज राम सिंह, जाति राजपूत, निवासी सरोद, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

5— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

उपस्थित – श्री अमितोष आचार्य अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री वीरेन्द्र सिंह सोनगारा अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 29.12.2020

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या –177/2013 निर्णय व डिकी दिनांक 14.07.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपरोक्त उनवान का प्रस्तुत किया और यह कथन किया कि अपीलांट एवं रेसपोडेंट कम 4 के खाता संख्या 451/379 की कुल किता 6 रकबा 19 बीघा 14 बिस्वा आराजी में से खसरा नम्बर 422 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा अपीलांट वादीगण द्वारा जरिये बयनामा क्रय किया और कब्जा प्राप्त कर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । लेकिन रेसपोडेंट प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 उक्त खसरा नम्बर को हांकने व उपज लेने में रूकावट उत्पन्न कर रहे हैं । और आये दिन लडाई झगडा कर रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण जवाबदावे में नियत था लेकिन प्रकरण को लोक अदालत न्याय आपके द्वारा अभियान 2016 में रखा गया । अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फोलो अप केम्प चलाकर गुराडिया जोगा केम्प में दिनांक 14.07.2016 को अपीलांट एवं रेस्पोडेंट की अनुपस्थिति में बिना किसी सहमति के मनमाने तरीके से वाद को खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील मनमाना, विधि विरूद्ध कानून की मंशा के विपरीत होने के कारण

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध–अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

खारिज होने योग्य है । वादी अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया, सुनवाई विधि सम्मत तरीके से नहीं की गई जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री खारिज होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी विधिक प्रकिया अपनाये निर्णय व डिकी पारित की है जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय ने न तो तनकीयात कायम की और न ही साक्ष्य, सुनवायी का समुचित अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 14.07.2016 अपास्त की जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 17.09.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी अपीलांट ने प्रतिवादीगण से 4 बीघा 19 बिस्वा आराजी कय की प्रतिवादी काश्त करने में बाधा उत्पन्न करने लगे । धारा 188 का दावा किया, राजीनामे हेतु प्रतिवादी तैयार नहीं हुए । दिनांक 16.06.2016 को केम्प में राजीनामा नहीं हुआ । दिनांक 14.07.2016 को केम्प की जानकारी हमें नहीं दी गई । हम वादी है अधीनस्थ न्यायालय ने दावा खारिज किया । हमें जवाबदेही, साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है । अतः अपील खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत केम्प में उपस्थित होने बाबत नोटिस वादी अपीलांट व प्रतिवादीगण को जारी किये गये । अतः वादी अपीलांट का यह कहना उचित नहीं है कि हमें केम्प की जानकारी नहीं थी । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 16.06.2016 राजस्व लोक अदालत में स्वयं वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर करने का निवेदन किया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक रिकार्ड के गुणावगुण के आधार पर फैसला किया है जिसमें हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.07.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिकरी व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– गोपी सिंह आत्मज अर्जुन सिंह, जाति राजपूत, निवासी सरोद, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

2– तूफान सिंह आत्मज अर्जुन सिंह, जाति राजपूत, निवासी सरोद, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

.... **अपीलांट**

बनाम

1– देवी सिंह आत्मज कालू सिंह, जाति राजपूत निवासी सरोद, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

2– फतेह सिंह आत्मज कालू सिंह, जाति राजपूत, निवासी सरोद, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

3– सरदार सिंह आत्मज भगवान सिंह, जाति राजपूत, निवासी सरोद, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

4– भैरूसिंह आत्मज राम सिंह, जाति राजपूत, निवासी सरोद, तहसील पचपहाड़, जिला झालावाड़

5– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. 05/2019 एवं नाराजगी डिकी अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, भवानीमंडी**

मु.द.नं. 177/दावा/2013 निर्णय अंतिम डिकी दिनांक – **14–07–2016**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 18 माह 12 सन् 2020

हाजरी **श्री अमितोष आचार्य** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री वीरेन्द्र सिंह सोनगारा** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 14.07.2016 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 29 माह 12 सन् 2020 को जारी किया गया ।

मोहर

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज.)